SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest land to be diveted under FCA)

Name of Project :- Diversion of forest land for the up gradation of Jodhpur Ring Road Section - I From Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan

A proposal has been recived by this office from NHAI Jodhpur for diverstion (under FCA-1980) of 7.534 Ha. of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for construction of Jodhpur Ring road. The proposed Jodhpur Ring road is located for jodhpur bypass phase -II which is situated in Bada bhakhar forest block..

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me, it is found that the land required by the user agency is forest land measuring 7.534 Ha.The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details there of - **Attached**

Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details there of with NOC from competent authority, if required - **NIL.**

(b) The user agency has not voilated the provisions of Forest (Conservation) Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

Specific recommendation of acceptance of otherwise of the proposal.

forest block bada bhakhar at jodhpur the Forest area required is rocky having very small bushes of Euphorbia and prosopis juliflora, in the interest of public for providing amenity the proposal may be accepted .

उक्त प्रस्तावित रिंग रोड़ वनखण्ड बडामाखर में, पूर्व में बने जोधपुर बाईपास फेज–।। का चौड़ाईकरण कर बनाया जा रहा है। जिसकी मृदा पथरीली एवं असमतल है तथा विरल मरूस्थली विभिन्न प्रजाति की वनस्पति विद्यमान है । आवेदित 7.534 हैक्टर क्षेत्र मौजा गैंवा के खसरा नं. 858, 867 एवं 884 में आता है एवं वर्तमान में यह क्षेत्र वन खण्ड बड़ामाखर का अंग है। इस सड़क मार्ग निर्माण हेतु अतिरिक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण वनभूमि को न्यूनतम सीमा तक प्रयोग में लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

वन विभाग एवं यूजर एजेन्सी के प्रतिनिधियो के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मौजा बड़ली के मीन खसरा नं. 534 की लगभग 1.33 हैक्टर भूमि, उक्त प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त भूमि भी, **प्रस्तावित रिंग रोड़ के चौड़ाईकरण में आयेगी।** इस मीन खसरा नं. 534 में वन विभाग की 101.22 हैक्टर, पी.डब्लू. डी. की 0.308 हैक्टर, जे.डी.ए. की 2.44 हैक्टर एवं खनिज विभाग की 5.26 हैक्टर, इस प्रकार कुल 109.22 हैक्टर भूमि है। इन चारो खातेदारान के मध्य तरमीम नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सड़क मार्ग की सीमा में अतिरिक्त रूप से आने वाली भूमि किस विभाग की है। संयक्त निरीक्षण (वन विभाग एवं NHAI) द्वारा पाया गया कि सड़क मार्ग निर्माण के लिए लगभग 1.33 हैक्टर भूमि की खसरा नं. 534 में आवश्यकता है जबकि वास्तव में पी. डब्लू. डी. के नाम 0.308 हैक्टर भूमि ही दर्ज है एवं सड़क निर्माण हेतु लगभग 1.02 हैक्टर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। **इस संबंध मे कार्यालय के पत्रांक 9312 दिनांक 27.09.2018 (संलग्न) से यूजर ऐजेन्सी को अवगत करवा दिया गया परन्तु यूजर ऐजेन्सी से आज दिनांक तक प्रतिउत्तर शेष है।** अतः तरमीम के बाद सड़क मार्ग की सीमा में अतिरिक्त रूप से आने वाली भूमि वनविभाग की भूमि पायी जाती है तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अतिरिक्त वनभूमि के संबंध में भारत सरकार से प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के जरिए अनुमति प्राप्त करनी होगी।

Attached:-As above

Place: Jodhpur
Date :-12.10.2018

(Signature)
Name : Narendra Singh Shekhawat
Designation : D.C.F. Jodhpur
Office Seal..... उप वन संरक्षक जोधपुर

Scanned by CamScanner

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

D.B. Writ Contempt No. 371/2016

Mahendra Lodha

----Petitioner

Versus

C.S. Rajan And Ors

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Ashok Chhangani.
For Respondent(s) : Mr. Rajesh Panwar, AAG
Mr. Ankur Mathur.
Ms. Aarohi Ozha on behalf of
Mr. Sanjeet Purohit.

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

HON'BLE MR. JUSTICE SANGEET LODHA
HON'BLE MR. JUSTICE DINESH MEHTA

Order

24/09/2018

Learned Additional Advocate General submits that process for grant of approval for diversion of 4.74 Hectares land comprising Khasra Nos.858, 867 and 884 of Village Gewa, for the purpose of widening the road has already completed and approval shall be issued within three days. It is further submitted that process for requisite approval for remaining 7.5 Hectares land has already been initiated, completion whereof is likely to take six weeks' time.

Looking to urgency of the completion of the project, it is expected that process for grant of approval for remaining 7.5 Hectares shall be expedited by the respondents. The respondents may complete the process for grant of approval expeditiously, preferably within a period of four weeks.

Scanned by CamScanner

Learned counsel appearing for the petitioner submits that there are many other issues to be dealt with by this Court in this petition, inasmuch as various directions issued by a Bench of this Court vide order dated 19.02.2007 passed in D.B.C.W.P. No.6073/1993 have not been complied by the respondents. Learned counsel for the petitioner seeks three days' time to file written submission in this regard.

Learned counsel appearing for N.H.A.I. submits that so many encroachments have been made by unscrupulous persons on the land forming part of road and, therefore, the same need to be removed. He, however, seeks three days' time to place the details in this regard on record.

List the matter on 27.09.2018.

The Commissioner, Jodhpur Development Authority, Jodhpur shall remain present before this Court on the next date of hearing.

(DINESH MEHTA),J (SANGEET LODHA),J

DJ/- 10

Rajasthan High Court
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोक्सवेल फोन न. 0291-2636753 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ ( )एफ.सी.ए/उवस/2018/9312 दिनांक: 27.09.2018

निमित्

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,जोधपुर
188,उम्मेद हैरिटेज रातानाड़ा
जोधपुर-342011

विषय: जोधपुर रिंग रोड़ सेक्शन प्रथम के निर्माण कार्य में आने वाली वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के क्रम में।

प्रसंग: आपके पत्रांक: 17006/1/2018/जे.आर.आर.-1/फोरेस्ट क्लेयरेन्स/2129 दिनांक 13.09.2018 के अनुक्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रासंगिक पत्र के जरिए जोधपुर रिंग रोड़ सेक्शन प्रथम के निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रासांगिक पत्र के जरिये दिनांक 14.09.2018 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ एवं प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। आप द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रत्यावर्तन प्रस्ताव मौजा गेंवा के खसरा न. 858, 867 एवं 884 से सबंधित है एवं मौका अवलोकन कार्यवाही में उक्त प्रस्ताव सही पाया गया है।

वन विभाग द्वारा वैस्टलैण्ड परियोजना अंतर्गत उपचारित की गई भूमि को वर्ष 1992 से वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद करने की लगातार मांग किये जाने पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 27.07.2018 को मौजा बड़ली के खसरा न. 534 की 625 बीघा 6 बिस्वा भूमि का वनविभाग के पक्ष में अमलदरामद किया गया है। इस खसरा में वनविभाग सहित कुल चार खातेदार है तथा इस खसरा की भूमि का कुल रकबा 674 बीघा 15 बिस्वा है। इस खसरा न. 534 में वनविभाग के अलावा 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि खनिज विभाग को, 15 बीघा 1 बिस्वा जोधपुर विकास प्राधिकरण को एवं 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी आवंटित है। उक्त चारो खातेदारान के मध्य तरमीम नहीं हुई है। वनविभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा मौका अवलोकन के समय आप के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि आप द्वारा प्रस्तावित सड़क जोधपुर रिंग रोड़ सेक्शन प्रथम सड़क मार्ग मौजा बड़ली के खसरा न. 534 में से गुजरेगी।

सर्व प्रथम चारो खातेदारान के मध्य तरमीम करवाया जाना अति आवश्यक है। इसलिए तरमीम कार्य हेतु आप अपने स्तर पर जिला कलक्टर महोदय जोधपुर को भी निवेदन करवाने का श्रम करावे एवं इस कार्यालय द्वारा भी इस प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर महोदय को पृथक से निवेदन किया जा रहा है। तरमीम के अभाव में प्रस्तावित सड़क मार्ग में वनभूमि के होने या न होने के संबंध में स्थिती स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः तरमीम कार्य के पश्चात आप द्वारा प्रस्तावित सड़क मार्ग मय विस्तार सीमा वनभूमि मे से निकलना पाया जाता है तो इस संबंध में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के जरिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस संबंध में दिनांक 24.09.2018 आप के प्रतिनिधि श्री आन्नद, कांट्रेक्टर सद्भाव इंजीनियरिंग एवं श्री प्रेम प्रकाश, राजस्व निरीक्षक के साथ इस कार्यालय के सर्वेयर एवं क्षेत्रीय मण्ड़ोर के साथ पुनः मौका अवलोकन कर लिया गया है।

मौका अवलोकन में आप के प्रतिनिधि ने मौखिक रूप से अवगत कराया कि खसरा न. 534 में सड़क निर्माण हेतु लगभग 1.33 हैक्टर भूमि की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। अतः आप तरमीम के पश्चात की स्थिती के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावे। दिनांक 24.09.2018 को संयुक्त मौका निरीक्षण के समय आप के प्रतिनिधि ने यह भी अवगत कराया कि उक्त सड़क मार्ग मौजा बड़ली के खसरा न. 1 में से होकर भी गुजरेगा। आप के प्रतिनिधि द्वारा यह जानकारी उपलब्ध कराये जाने पर संयुक्त मौका निरीक्षण दल द्वारा प्रभावित क्षेत्र का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि इस सड़क

Scanned by CamScanner

कार्यालय उप वन संरक्ष र

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोक्सवेल फोन न. 0291–26
jodhpur@gmail.com

क्रमांकः एफ ( )एफ.सी.ए/उवस/2018/ 9452 दिनांकः 3/10/18

निमित्

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,जोधपुर
188,उम्मेद हैरिटेज रातानाड़ा
जोधपुर–342011

विषयः मौजा बड़ली के खसरा न0 534 में सड़क मार्ग की भूमि तरमीम के संबंध में उत्पन्न आसमंजस पूर्ण स्थिती के निवारण के क्रम

प्रसंगः आपके पत्रांकः 17006/1/2018/जे.आर.आर./वन/2241 दिनांक 28.09.2018 के अनुक्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित एवं प्रासंगिक पत्र के जरिए आप ने अवगत कराया है कि मौजा बड़ली खसरा न. 534 में पी.डब्लू.डी. के SE ने 7.12 बीघा भूमि की अवाप्ति वर्ष 1999 में की गयी है एवं अवाप्ति के आधार पर इस भूमि को आपने NHAI के पक्ष में अमलदरामद के लिए जिला कलक्टर महोदय जोधपुर से निवेदन किया गया है।

आपके उक्त पत्र के अनुक्रम में लेख है कि मौजा बड़ली के खसरा न. 534 की समस्त वनविभाग (625 बीघा),खनिज विभाग की (35 बीघा) जे.डी.ए (15 बीघा) व पी.डब्ल्यू.डी (1 बीघा 18 बिस्वा) सहित कुल चार विभागों को आवंटित हो चुकी है। इसलिए आपका दावा इन चारों खातेदारान में से किस खातेदार की भूमि के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

द्वितीय आप द्वारा प्रस्तुत पत्र के संदर्भ में आपके पक्ष में 7.12 बीघा और भूमि के अमलदरामद की कार्यवाही से पूर्व/ साथ–साथ खसरा नं. 534 के चारों खातेदारान की भूमि की तरमीम करवाया जाना आवश्यक होकर तरमीम के बाद यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा कि प्रस्तावित सड़क मार्ग की भूमि वन सीमा में आती है या नहीं। इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा जिला कलक्टर महोदय जोधपुर एवं तहसीलदार जोधपुर को अवगत कराया जा रहा है आप भी भी इस संबंध में आवश्यकतानुसार कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

आपने प्रस्तावित सड़क मार्ग के राजस्व नक्शे में तरमीम होने का उल्लेख किया है। राजस्व खसरा नक्शा में राजस्व विभाग द्वारा की गयी तरमीम ही विधिक रूप से मान्य होती है किन्तु आप द्वारा प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न नक्शे में प्रस्तावित मार्ग को आरेखित किया गया है जिस पर किसी विभाग के उक्त कार्य हेतु अधिकृत/संक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं होने के कारण, उक्त नक्शा वैधानिक रूप से महत्व हीन है तथा बिना अमलदरामद हुए भूमि की तरमीम औचित्यता एवं वैधानिकता को स्पष्ट नहीं किया है। सभी खातेदारान की भूमि के तरमीम होने के पश्चात ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुचना उचित होगा कि प्रस्तावित सड़क मार्ग वन सीमा में से निकलेगी या नहीं। अतः इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक 9312 दिनांक 27.09.2018 अनुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

भवदीय
3/03/X/18
(नरेन्द्र सिंह शेखावत)
उप वन संरक्षक
जोधपुर
दिनांक 3/10/18

9453-54 d/c

क्रमांकःसम

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला कलक्टर, महोदय जोधपुर।
2. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए राज.जयपुर

3/03/X/18
उप वन संरक्षक
जोधपुर

d/c

Scanned by CamScanner